



क्र.सं.	आवेदन/पत्र संख्या	04-06-2018 के अनुसार	वर्गीकरण	एवं तहसील इंदौर (म.प्र.)	एवं तहसील इंदौर (म.प्र.)	वज्र तक)			
3.	एनएचएल/आईएनटी/1016/328124	राहुल जैन एवं रुबी जैन रु. 1,32,73,035.20 (एचएए एक करोड़ वतीस लाख तीसहजार हजार पैंतीस एवं बीस पैसे मात्र) 18-10-2017 के अनुसार	भौतिक	म्यून्सिपल गवन नं.-340 का उत्तरी भाग, (न्यू नं. 240 एवं पुराना नं.-231), गन्धारगंज, एम.जी. रोड, प्रकाश नमकीन के सामने, इंदौर (म.प्र.)	86,00,000/- (रुपये छियासी लाख मात्र)	8,60,000/- (रुपये आठ लाख साठ हजार मात्र)	14/12/2018 प्रातः 10 बजे	26/12/2018 दोपहर 12.30 बजे रो दोपहर 2.30 बजे तक)	लगा नहीं

जहाँ कार्य सुरुचित तैयार (पीएनबीएचएफएल) ने उपरोक्त संपत्तियों के निपटारे का निर्णय लिया है, पीएनबी हाऊसिंग फायनेंस कंपनी लि. (पीएनबीएचएफएल) ने आज इस सूचना के प्रकाशन के द्वारा संपत्तियों के निपटारे का ऊपर दर्शाई समय व स्थान पर करना एवं किया है। संबंधित ऋणकर्ताओं/बैंककर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से और आम जनता को सूचना देकर बताया जाता है कि सुरुचित संपत्तियों के साथ कोई भी संबंधित न करे, ऊपर दर्शाई ऋण खातों के सिधे कराने की प्राप्ति 13/13 के अंतर्गत प्राप्त शर्तियों के अनुसार संपत्तियों के साथ कोई भी सत्यकार सुरुचित सेनदार के विधायक होगा। संबंधित ऋणकर्ताओं/बैंक/सह-ऋणकर्ताओं को नौलामी से पूर्व संपत्ति वापस प्राप्त करने के लिए एक अंतिम अवसर है कि वह ऋण खातों ब्याज और अतिरिक्त सहित नौलामी के एक दिन पूर्व कार्यदिश में भुगतान कर सकते हैं असाफल होने पर संपत्ति दशांग रोडवुल के अनुसार वेव की जावेगी। उपरोक्त दर्शाई ऋणकर्ता/सह-ऋणकर्ता और वास्तुकार को कॉलम "बी" में और मांग सुरुचित के अनुसार सुरुचित ऋण सहित मांग राशि पर इस पर लगाने वाले लागू दर पर और ब्याज, आकरिमिक खर्चा, लागत, अतिमारा कॉलम "सी" में दर्शाई गई है। अधोहस्ताक्षरकर्ता के विरुद्ध अनुसार दी गई जानकारी सत्य है तथा किसी भी त्रुटि, गलत कथन या मूछे तथ्य के लिए जिम्मेदार नहीं होते अतः निविदाप्रस्ताव/प्रस्तावकर्ताओं/भागी बोलौकर्ताओं/किताबों से निवेदन किया जाता है कि बोलौ जमा करने के पूर्व पत्रों तौर पर अपने स्तर पर जांच कर सतुटी कर लें। आम नौलामी के लिए नियम व शर्तें

- इसके बोलौकर्ताओं द्वारा जमा किए गए प्रस्ताव/निविदा प्रपत्र में दर्शाई गई नियम व शर्तों के अनुसार उस पर कदाई से लागू शर्तों अनुसार विक्रय होगा।
- संपत्ति "जहाँ है, जैसी है" एवं "जैसी है वैसी है" के आधार पर भार सहित, यदि कोई हो तो, पर विक्रय होगी। नौलामी के अंतर्गत संपत्ति यहाँ दर्शाई निर्धारित तिथि और समय पर निरीक्षित की जा सकेगी। इस संबंध में किसी भी प्रश्न अथवा स्पष्टीकरण के लिए या निविदा/नौलामी पत्र को जमा करने के संबंध में आप हमारे सौदाईत नं. 9212346000 पर संपर्क कर सकते हैं। जिसका पंजीकृत कार्यालय में, मैजिस्ट्रियस रीयल्टी सर्विसेस लिमिटेड, पंजीकृत ऑफिस 10, रीवा गंज, नई दिल्ली-110002 एवं प्रमुख कार्यालय टाईम्स सेंटर, (डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन फेसिलिटी), एफसी-6, (तृतीय तल), सेक्टर 16 ए, फिल्म सिटी, नॉएडा-201301 (उ.प्र.), [www.auctions.magicbricks.com](http://www.auctions.magicbricks.com) पर संपर्क करें।
- मार्केटिंग करने एवं भागी बोलौकर्ता/किताबों को खोजने के लिये, हमने नं. इन्वेंट ऑन सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (बी थोर जली मोबा. नं. 8355945954, 8422861354 एवं 8422861351) एवं अन्य स्थानीय मार्केटिंग एजेंसी/संस्था प्रदाताओं को नौलामी प्रक्रिया को सफेसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नौलामी के निष्पत्ति में सहायता प्रदान करेगी।
- निविदाकर्ता/प्रस्तावकर्ता/भागी बोलौकर्ता/किताब कॉलम (जी) में दर्शाई अनुसार जमा धरोहर राशि (ईएमडी) सहित अपने प्रस्ताव किसी अधिसूचित बैंक के डिमांड ड्रफ्ट या वे ऑर्डर या आरटीजीएस या एनई एफटी के द्वारा पीएनबी हाऊसिंग फायनेंस लिमिटेड इंदौर में भुगतान योग्य एक सीलबंद लिफाफे में दर्शाये "संपत्तियां के लिये हेतु प्रस्ताव" लिखकर जमा करें, जो पीएनबी हाऊसिंग फायनेंस लिमिटेड, द्वितीय तल, मेगापोलिंस रकथवर, 579, एम. जे. रोड, इंदौर-452001 (म.प्र.) में हमारे प्राधिकृत अधिकारी श्री इरफाल आलम ( मोबा. नं. 9958195453 पर) एवं श्री राजू चौहान ( मोबा. नं. 9755597817 पर) के पास बोलौ जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात् 24.12.2018 को या उसके पूर्व सावे 5.30 बजे के पूर्व पहुंच जाना चाहिए। धरोहर राशि, सफल बोलौकर्ता को विक्रय राशि में समाविष्ट की जावेगी।
- पूर्ण रूप से नहीं भरे गए प्रस्ताव या बिना ईएमडी के प्रस्ताव अथवा उपरोक्त विधि व समय के बाद प्राप्त प्रस्ताव वेच प्रस्ताव के तौर पर मान्य नहीं होंगे और निरस्त कर दिए जाएंगे। धरोहर राशि पर कोई ब्याज देव नहीं होगा।
- प्रस्ताव पत्र के साथ इच्छुक बोलौकर्ता को अन्य कर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड (या फॉर्म 60) और उसका/उसकी पहचान पत्र तथा निवासे का प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, चुनाव आयोग कार्ड, सलन कार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस आदि की छायाप्रति भी सलन करनी होगी।
- निबद्ध प्राईस (अभेद्य) से कम में संपत्ति के विक्रय को कोई संभावना नहीं है। यह स्पष्ट किया जाता है कि बिड इन्कीमेंट्स प्रति रु. 10,000/- के गुणक से कम नहीं होगी।
- संपत्ति उच्चतम बोलौकर्ता/प्रस्तावकर्ता को विक्रय की जावेगी, सुरक्षित सेनदार, अर्थात् पीएनबी हाऊसिंग फायनेंस लिमिटेड की स्वीकार्यता के अनुसार उपरोक्त संपत्तियों की बिक्री ऑनलाईन/इंटर-एसई बोलौ दर्शाई तिथि और समय हमारे सेवा प्रदाता की वेबसाईट/मार्केटिंग एजेंसी में, मैजिस्ट्रियस रीयल्टी सर्विसेस लिमिटेड में कॉलम "अई" के अनुसार होगी। यद्यपि अधोहस्ताक्षरकर्ता किसी भी प्रस्ताव/निविदा को विना कोई कारण बताये स्वीकार या निरस्त करने का अधिकार रखते हैं।
- राभी व्यव अधीन, म्यूसिसिपल टैक्स से, गेटिनेस/सोसायटी चार्जस, विजली और जल कर या सभी अतिदेय सहित कोई अन्य बकाया सफल बोलौकर्ता/किताब द्वारा भुगतान किया जाएगा।
- सफल बोलौकर्ता/किताब द्वारा निर्धारित राशि (धरोहर राशि सहित) का 25% प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विक्रय के संबंध में स्वीकार करने के तुरंत/उसी दिन या अगले कार्यदिश तक जमा करनी होगी, इसमें असाफल होने पर धरोहर राशि जल कर लौटाएगी।
- सफल बोलौकर्ता/किताब द्वारा विक्रय की राशि 15% निबद्ध प्राईस (अभेद्य) के तुरंत/उसी दिन के अंतर्गत सुरुचित सेनदार के रूप में निवेदन पर हमारे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विक्रय के स्वीकार करने के 15 दिन के भीतर अथवा लिखित में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विस्तार की गई अवधि में जमा करनी होगी। शेष विक्रय राशि की 75% या कोई अंश राशि के भुगतान में एक हप्ता के भुगतान पर निर्धारित अवधि में, जमा की गई राशि जल कर लौटाएगी और सुरक्षित सेनदार पुनः बिक्री के लिए स्वतंत्र हो जायेगा तथा सफल बोलौकर्ता को विक्रय के लिए भुगतान के किसी भाग को जल तथा संपत्ति संबंधित सभी दाये समाप्त माने जायेगी।
- यदि दर्शाई अवत संपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा पंजीकरण की तिथि के बाद आम द्वारा हानि या क्षय, चोरी या अन्य दुर्घटना, अन्य कारण, पूर्णरूपेण सफल बोलौकर्ता के फल जोस्मि पर होगी। सफल बोलौकर्ता दाता को उक्त बिक्री को किसी भी आधार पर रद्द करने का अधिकार नहीं होगा।
- उस स्थिति में जब संपत्ति की अंतिम बोलौ राशि/विक्रय प्रतिफल रु. 50.00 लाख या अधिक हो, सफल बोलौकर्ता/किताब को ऋणकर्ता का पैन नंबर उपलब्ध कराने पर वतीर कटौतिकर्ता टीडीएस पर @1% की सूट प्राप्ती होगी, जो बोलौ पूर्ण होने पर प्राधिकृत अधिकारी/बैंक द्वारा प्राप्त की जा सकेगी एवं विक्रय प्रतिफल की शेष 99% राशि उक्त समय सोमा में बैंक को भुगतान योग्य होगी। अतः आयकर अधिनियम, 1961 की धारा (194-आईए) के अनुसार ऋणकर्ता का पैन नंबर पर संपत्ति का 1% उपरोक्त बोलौकर्ता जमा करने के लिये बाध्य है।
- ऐसे मामलों में नौलामी के अंतर्गत राशि/विक्रय प्रतिफल रु. 50.00 लाख या अधिक हो सफल बोलौकर्ता/किताब उपरोक्त अनुसार (टीडीएस पर सूट) संपूर्ण भुगतान पर एवं विक्रय औपचारिकताएं पूर्ण होने पर, टीडीएस के फलकर्ता के लिये फेकल फॉर्म नं. 26 वरुपी में बालान-कम-स्टेटमेंट की प्राईस पर सफेसी अधिनियम एवं नियम 2002 के अनुसार संपत्ति से संबंधित सेल सर्टिफिकेट जारी किया जावेगा। फॉर्म 16बी में टीडीएस के लिये सर्टिफिकेट इसके बाद बैंक में भी जमा किया जा सकता है।
- सेल सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड प्रदा करने की जिम्मेदार पूर्णरूपेण सफल बोलौकर्ता की होगी। स्टैप द्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्ज, ट्रांसफर चार्जस और अन्य खर्चा संबंधित सभी तथ्य उपरोक्त संपत्ति के लिए सेल सर्टिफिकेट के रजिस्ट्रेशन संबंधित तथ्य सफल बोलौकर्ता/किताब को भहन करने होंगे। बिक्री प्रमाण पत्र का पंजीकरण उपरोक्त करवाता होगा अथवा केना को प्रस्तावित क्रेडिटर को पंजीकरण में मिलान के कारण उल्लेख करते हुए एक अनुसंधान पत्र देना होगा।
- प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम प्रस्ताव या किसी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और पीएनबी हाऊसिंग फायनेंस लिमिटेड, वतीर सुरक्षित सेनदार किसी या सभी बोलौ को विना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार रखते हैं। उपरोक्त नौलामी में यदि बोलौ निरस्त की जाती है तो प्राधिकृत अधिकारी किसी निविदा या इच्छुक बोलौकर्ताओं या अन्य पार्टियों से प्राईवेट ट्रीटी द्वारा संपत्तियों के विक्रय के लिए मोतामक कर सकते हैं। विक्रय पीएनबी हाऊसिंग फायनेंस लिमिटेड के सुरक्षित सेनदार/नौलामी विक्रय कमेटी के पंजीकरण और संबंधित शिवागिटी इंटर-ए (एनॉसमेंट) रूल 2002 के अनुसार होगी।
- नौलामी/बिक्री प्रक्रिया में इच्छुक बोलौकर्ताओं/प्रस्तावकर्ताओं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के अतिरिक्त किसी अन्य को भागीदारी की अनुमति नहीं होगी। यद्यपि सेल सर्टिफिकेट उस क्रेता के पास में जारी होगा जिसके नाम का बोलौ दर्शायेज जमा होगा।
- प्राधिकृत अधिकारी इस बिक्री नोटिस में दर्शाई नियम व शर्तों में बिना सूचना के परिवर्तन कर सकते हैं एवं मार्केटिंग एजेंट का सर्वेस प्रोवाइडर के साथ संपत्तियों के बिक्री को पुनः अधिग्रहण बंधक कर सकते हैं, उनकी पेशेवर फीस ऋणकर्ता से वसूल की जाएगी।
- उपरोक्त नौलामी प्रक्रिया में यदि सभी लागत, अतिमारा और सुरक्षित सेनदार द्वारा किए सभी खर्चा सहित उपरोक्त ऋणकर्ता/सह-ऋणकर्ता द्वारा, नौलामी की तिथि के एक कार्यदिश पूर्व सम्पूर्ण राशि का भुगतान हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं तब संपत्ति विक्रय नहीं किया जावेगी तब फाली बोलौकर्ताओं द्वारा सभी प्राप्त बोलौ पीएनबी हाऊसिंग फायनेंस के बिरुद्ध निवेदन किया। देयता/दायें के वापस वर दी जावेगी।
- यह प्रकाशन ऋणकर्ता/बैंककर्ता/वास्तुकार के लिए एक 30 दिन को नोटिस भी है कि यदि अधिकारी को पूर्ण भुगतान न हो तो विक्रय अधिकार संरक्षित है।
- निविदा प्रपत्र ऊपर दर्शाये पीएनबी हाऊसिंग फायनेंस लिमिटेड की स्वामीय शाखा या वेब पोर्टल: [www.auctions.magicbricks.com](http://www.auctions.magicbricks.com) से हाऊसलॉक किया जा सकता है। इच्छुक बोलौकर्ताओं को पोर्टल पर पंजीकृत एवं लॉगिन आवेगी एवं फासवर्ड पूर्व में प्राप्त करना होगा जो मैजिस्ट्रियस रीयल्टी सर्विसेस लिमिटेड से है- बिडिंग के लिए आवश्यक है। मैजिस्ट्रियस रीयल्टी सर्विसेस लिमिटेड पोर्टल पर प्राविधक सुविधा की उपलब्ध है। विस्तृत नियम व शर्तों के लिये कृपया सुरक्षित सेनदार को वेबसाईट अर्थात् [www.pnbhousing.com](http://www.pnbhousing.com) में उपलब्ध कराई गई लिंक को रेफर करें।
- ऋणकर्ता/बैंककर्ता को भी सूचना दी जाती है कि वे अपनी निजी धरेत सामान/उपकरणों यदि कोई हो तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर जो पीएनबी हाऊसिंग फायनेंस लिमिटेड की चपक संपत्ति से पूर्व सूचना देकर प्राप्त कर लें, असाफल होने पर पीएनबी हाऊसिंग फायनेंस लिमिटेड को कोई देयता/जिम्मेदारी नहीं होगी तथा यह ऋणकर्ता/बैंककर्ता के जोखिम पर निपटारा किया जावेगा।
- विशेष निवेदन: बोलौकर्ताओं के हित के लिए अंतिम समय की बोलौ से परहेज किया जावे, न तो पीएनबी एचएफएल न ही सेवा प्रदाता किसी भी चूक/असाफलता (इंटरनेट) बिजली जमा आदि) के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए बोलौकर्ताओं से निवेदन है कि सभी आवश्यक प्रपत्र/विकल्प जैसे परिवार सहाई बैंक-अप आडिन कर, प्राईस एंसी रिखायिता के। ररकिनार कर नौलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें। नौलामी विक्रय कॉलम क आई में दर्शाये अनुसार समय सोमा में स्वतः बंध हो जावेगी। प्राधिकृत अधिकारी नौलामी को 15 मिनट बढोहरी का निर्णय स्वयं के हितक पर कर सकते हैं।

स्थान:- इंदौर  
दिनांक:- 22-11-2018  
हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी,  
पीएनबी हाऊसिंग फायनेंस लिमिटेड